UN-FEEDING WORLD BANK

INTER-STATE FUNDING-PROIECT FOR WELFARE & DEVELOPMENT

CORPORATE OFFICE--DEVELOPMENT BUILDING,IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA, Mb-9473673785 / 6394066173 / E-mail-info@unfeedingworldbank.com,

पत्रांकःएस.जी.एस.वाई. / 2025–26 / प्रसार

दिनांक:-28.07.2025

समस्त आवेदक आउटसोर्सिंग एण्ड मैनेजमेन्ट एजेन्सी,

विषय:—आत्मनिर्भर भारत में सबके लिए घर एवं शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में लोन एवं जनसम्पर्क अधिकारियों की न्युक्तियों के लिये,आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय.

अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक एक अर्न्तराज्यीय परियोजना है,जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों,स्वयं सहायता समूहों,महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,सीएसआर वेलफेयर फन्ड से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक—जीरो डिपोजिट आरडी—एकाउन्ट के द्वारा,उनके सभी चिकित्सा,शिक्षा,निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों के भुगतान, एवं छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रूठ, तथा किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण,बिना किसी औपचारिकता के,केश सहायता के रूप में,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फी,उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित,अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये,सभी कार्य केवल,अन्तर्राज्यीय फन्डिंग एजेन्सी, अन—फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,द्वारा कियें जायेंगे।

महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में, औसत 200 लोन आफीसर्स की,जिनकी न्यूनतम योग्यता, इन्टरमीडिएट होगी, की न्युक्तियों के लिये, आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की न्युक्तियाँ अनुबन्ध के आधार पर की जानी है।

पद कोड	पदनाम	<u>औसत</u> पदों की संख्या	मासिक कुल परिलब्धियाँ	अन्य लाम	योग्यता	आयु सीमा दिनांक 31,मार्च,2025 को
<u>01</u>	लोन आफीसर्स	200	22000 ₹0	5 लाख का बीमा एवं पी.एफ.	इन्टरमीडिएट से स्नातक	18 से 45 वर्ष

अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में, अनुबन्ध के आधार पर इन्छ्क आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की आवश्यकता है। <mark>आउटसोर्सिंग एजेन्सियों को अनुबन्ध-पत्र के अनुसार, 200 लोन आफीसर्स</mark> की नियुक्ति होने, उनकी सिक्योरिटी राशी जमा होने एवं उनके द्वारा अनुबन्ध के अनुसार,निर्धारित लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को पूर्ण करने पर 16 लाख रू०, अर्थात् 8 हजार रू० प्रति लौन आफीसर,तथा नियुक्त किये गये, 200 लोन आफीसर्स से कार्य पूर्ण कराने पर,4 लाख रू0 प्रतिमाह,अर्थात 2 हजार रू0 प्रति,लोन आफीसर प्रतिमाह <mark>आउटसोर्सिंग-शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे।</mark> सभी आवेदन करने वाली एजेन्सियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ 30 हजार रू0,प्रति विकास खण्ड, वेरिफिकेशन एवं प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी,जो वापिस नहीं की जायेगी। आवश्यक वेरिफिकेशन के बाद इन्टरव्यू में पात्र पायी जाने वाली एजेन्सियों को अपने प्राथमिक अनुबन्ध के साथ,1 लाख रू०, वेलफेयर एमाउन्ट जमा करना होगा। तभी प्राथमिक अनुबन्ध पूर्ण माना जायेगा। इसके बाद प्रत्येक विकासखण्ड में 200 लोन आफिसर्स की नियुक्तियों, उनके साथ अनुबन्ध एवं उनके प्रशिक्षिण के पूर्ण होने के बाद,सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के साथ रजिस्टर्ड अनुबन्ध किया जायेगा एवं सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। इसके बाद,सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा नियमानुसार लामार्थियों के आवेदन पत्रों को भरवाया जायेगा। एवं अग्रिम कार्यावाही की जायेगी। रजिस्टर्ड अनुबन्ध के साथ,1 लाख रूo,सिक्योरिटी एमाउन्ट जमा करना होगा। <mark>आवश्यक योग्यता रखने वाली इच्छुक एजेन्सियाँ केवल, अन-फीडिंग वर्ल्ड</mark> बैंक परियोजना की वेबसाइट-www.unfeedingworldbank.com पर ही ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन शल्क एवं वेलफेयर एमाउन्ट सहित सभी राशियाँ केवल. SGSY E-MARKETTING & INFORMATION PROJECT, के खाता संख्या 683610110000762 बैंक आफ इंडिया, विकास भवन, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी शाखा, लखनऊ, आईएफएससी कोड-BKID0006836 पर अथवा इसके दिये गये क्य आर कोड पर ही जमा होगी।

भवदीय

(आर.एन.गर्ग) अपर निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-1.मुख्य सचिव,उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

2.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।